संख्या-23/2016/1700/26-2-2016-100(2)/2007

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ दिनांकः 27 जुलाई, 2016

विषयः- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवेदन, स्वीकृति एवं विवरण इन्टरनेट आधारित प्रणाली द्वारा किये जाने से संबंधित शासनादेश दिनांक 10.06.2016 में आंशिक संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-20/2016/1468/26-2-2016-100(2)/2007, दिनांक 10.06.2016 द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना अन्तर्गत इन्टरनेट आधारित प्रणाली द्वारा आवेदन पत्र, स्वीकृति वितरण के संबंध में विस्तृत मार्ग निर्देश निर्गत किये गये है। उक्त शासनादेश दिनांक 10.06.2016 के पैरा-8(IV) में विलम्ब की स्थिति में प्रक्रिया निर्धारण के अन्तर्गत निम्नवत् व्यवस्था की गयी है किः- ''किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन के 75 दिनों के उपरान्त कोई भुगतान जनपद स्तर से करना सम्भव नहीं होगा। ऐसे मामलों में कारण सहित पूरी स्थिति जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण को संदर्भित की जायेगी। निदेशक, समाज कल्याण प्रस्ताव का परीक्षण कर तथा शासन की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही ऐसे मामलों में भुगतान कर सकेंगे।''

2- योजनान्तर्गत समयबद्ध एवं त्वरित कार्यवाही कर पात्र लाभार्थियों को शीघ्र सहायता भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु शासनादेश दिनांक 10 जून, 2016 के पैरा-8(IV) की उपर्युक्त व्यवस्था के क्रम में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन के 75 दिनों के उपरान्त कोई भुगतान जनपद स्तर से करना सम्भव नहीं होगा। ऐसे मामलों में कारण सहित पूरी स्थिति जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 को संदर्भित की जायेगी तथा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 से प्रस्ताव का परीक्षण कर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त ही संबंधित लाभार्थियों को जनपद स्तर से भुगतान किया जायेगा।

3- प्रश्नगत योजना हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 10.06.2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। कृपया उपरोक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या- 23/2016/1700(1)/26-2-2016-100(2)/2007 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त मण्डलीय उप निदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

नीरजा कुरील
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।